न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 43/2012 (निगरानी पंचायत) दायर दिनांक 06.12.2012

1. श्रीमती सरजू बाई पत्नि किशोरलाल जाति नायक, निवासी निलोद, तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़।
2. श्री रंगलाल पिता रमेश जाति नायक, निवासी निलोद, तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1. श्री उदयराम पिता कनीराम जाति खटीक, निवासी निलोद, तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत निलोद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत निलोद पंचायत समिति भुपालसागर, तहसील कपासन जिला चितौडगढ़(राज0)।

विपक्षीगण/गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत निलोद पंचायत समिति भूपालसागर द्वारा जारी पट्टा संख्या 5651 दिनांक 02.12.1996

उपस्थित :– वकील निगराकार :– श्री शिवनारायण जाट

निर्णय दिनांक 27.11.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/निगराकार ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध ग्राम पंचायत निलोद पंचायत समिति भूपालसागर जिला चितौड़गढ़ के निगरानी हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया की ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 उदयराम के नाम पर जारी किया गया आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 5451 दिनांक 02.12.1996 न्याय नियम एवं वाकियाती तथा अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर कानून विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उदयराम पिता कनीराम खटीक के पूर्व में रिहायशी मकान स्थित है उसके बावजूद पंचायती राज के नियमों की अवेहलना कर बिना किसी कार्यवाही को सम्पूर्ण किये रियायती दर पर विक्रय विलेख जारी किया गया है जो नियमों के विपरीत है। विपक्षी

संख्या 1 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया जिसमें कोई मोके का साईड प्लान तैयार नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 01 से कोई आवेदन नहीं लिया ओर तीन पंचों की मौजूदगरी में कोई पर्चा मौका तैयार नहीं किया। एक माह का कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया तथा संरपंच ग्राम पंचायत निलोद द्वारा विपक्षी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के नियत से नियमों को ताक में रखकर एक दिन में ही कार्यवाही कर पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिकता पूर्ण कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि विक्रय विलेख में जिन पड़ौसों के बीच पट्टा जारी किया गया है उक्त भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है बल्कि इस भुखण्ड पर निगराकार का पक्का पट्टी पोश मकान बना हुआ है तथा निगराकार का विगत 20 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा करीब 10 वर्ष पूर्व निगराकार ने पक्के मकान निर्माण है इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी पट्टा जारी किये जाने से भारी कानूनी भूल की है तथा मुदमें बाजी एवं विवाद को बढ़ावा दिया है। विपक्षी संख्या 1 को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है उस भूखण्ड पर निगराकार संख्या 1 काबिज है तथा ग्राम पंचायत निलोद द्वारा दिनांक 20.05.1991 को सरजु बाई किशोरलाल के नाम पट्टा संख्या 4072 जारी किया गया जो 59 बाई 60 फीट का है तथा निगराकार रंगलाल को पट्टा संख्या 16314 जारी किया गया उक्त पट्टे तत्कालीन सरपंच संग्राम सिंह राणावत द्वारा पट्टा जारी किया गया एवं पट्टा जारी होने के बाद दो वर्ष के भीतर ही निगराकार ने पक्का मकान बना लिया है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा प्श्चातवर्ती पट्टा जारी किया जाना नियमों से परे है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 ने निगराकार के विरूद्ध एक अन्य निगरानी प्रस्तुत कर रखी है जिसमें पट्टे होने का कथन किया है। इस कारण निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत निलोद से जानकारी लेकर पट्टे की नकल प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की है। अवैघ पट्टा जारी किये जाने में मियाद का बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी निगराकार को जानकारी होने पर निगरानी अंदर मियाद पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है किः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावें एवं एवं उक्त अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत निलोद, पंचायत

समिति भूपालसागर द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 5651 दिनांक 02.12.1996 निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किये गये, जो बाद तामिल प्राप्त हुए। गैर निगराकार सं. 01 की और से वकील श्री राजेन्द्रकुमार राजोरा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 18.02.2013 को गैर निगराकार सं. 02 की ओर से ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत हुआ जो शा.फा. किया गया। गैर निगराका के संख्या 01 के वकील ने कमिश्नर रिर्पोट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील निगराकार को दिलाई गई। दिनांक 12.02.2014 को गैर निगराकार सं. 01 द्वारा प्रस्तुत के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2013 का जवाब निगराकार ने प्रस्तुत किया। दिनांक 22.03.2014 को गैरनिगराकार की ओर से वकील श्री किशनलाल अहिर ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। गैर निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नही आने से दिनांक 13.11.2019 को गैर निगराकार के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में बहस वकील निगराकार की एक तरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत निलोद पंचायत समिति पंचायत समिति भूपालसागर द्वारा प्रेषित पत्र इस कार्यालय को दिनांक 18.02.2013 को प्राप्त जिसमें जाहिर किया गया कि इस प्रकरण सं. 43/12 से सम्बन्धित कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है तथा ग्राम पंचायत ने उक्त नाम का कोई पट्टा जारी नहीं किया है। ग्राम पंचायत निलोद द्वारा जारी पत्र क्रमांक/एसपी–1 दिनांक 19.12.2012 को श्री किशोरीलाल पिता रूपा नायक निवासी निलोद द्वारों पट्टो की सूचना चाहे जाने पर पत्र के क्रम संख्या 3 पर उदयराम पिता कनीराम खटीक के पट्टा संख्या 5451/6.12.96 के रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। इस प्राकर विपक्षी सं0 1 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 5451 दिनांक 02.12.1996 जारी नहीं किया जाना बताया है। पट्टा अगर जारी किया गया है तो पट्टे दिये जाने वाली भूमि का मौका नही देखा गया कि भूमि रिक्त है या नहीं । 3 पंचो की उपस्थिति में मौकाा पर्चा भी नही बनाया गया।

एक माह का आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा संख्या 5451 दिनांक 02.12.1996 के जारी किये जाने में अनियमितता हुई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितता की है। अतः प्रकरण में ग्राम पंचायत निलोद पंचायत समिति भूपालसागर द्वारा जारी पट्टा संख्या 5651 दिनांक 02.12.1996 निरस्त किया जाता है। संबंधित पक्षकार विधिवत पट्टा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन) ,चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.06 11:50:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: